**संख्या-132/2025/I/1070093/2025/71-1002/9/2022**

**प्रेषक,**

**मनोज कुमार सिंह,**
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

**महानिदेशक,**
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1** **लखनऊ : दिनांक 29 अगस्त, 2025**

**विषय:-**वित्तीय वर्ष 2025-26 में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर से सम्बद्ध नेहरू चिकित्सालय के सेंट्रल गैलरी के रैम्प के पास क्षतिग्रस्त कालम, रैम्प एवं कारिडोर के नव निर्माण कार्य हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति में त्रुटि संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-129/2025/I/1062102/2025/71-1002/9/2022, दिनांक 20.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर से सम्बद्ध नेहरू चिकित्सालय के सेंट्रल गैलरी के रैम्प के पास क्षतिग्रस्त कालम, रैम्प एवं कारिडोर के नव निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 515.95 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-43-राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर के मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष परियोजना की प्रथम किश्त के रूप में रू0 300.00 लाख (रू0 तीन करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

**2-** अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 20.08.2025 के प्रस्तर-2 में परियोजना की प्रथम किश्त के रूप में रू0 257.975 लाख (रू0 दो करोड़ सत्तावन लाख सत्तानवे हजार पाँच सौ मात्र) के स्थान पर त्रुटिवश रू0 300.00 लाख (रू0 तीन करोड़ मात्र) अंकित हो गया है।

**3-** अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 20.08.2025 के प्रस्तर-2 में परियोजना की **प्रथम किश्त** के रूप में **रू0 257.975 लाख (रू0 दो करोड़ सत्तावन लाख सत्तानवे हजार पाँच सौ मात्र)** की धनराशि निर्गत समझा व पढ़ा जाय।

**4-** शासनादेश संख्या-129/2025/I/1062102/2025/71-1002/9/2022, दिनांक 20.08.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

**मनोज कुमार सिंह**
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**<u>संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।</u>**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

**आनन्द कुमार त्रिपाठी**

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।